



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40029

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 2033/2026

विशाल कुमार

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : आशीष गोयल

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए., साक्षी श्रीवास्तव

कोर्ट नं. - 65

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी

1. इस न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ने पीड़ित की अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति के साथ अपनी रिपोर्ट भेजी है। पीड़ित के ऑसिफिकेशन टेस्ट से पता चलता है कि पीड़ित की उम्र लगभग 17-18 वर्ष है, इसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. कोई भी बाल कल्याण समिति, जिला बुलंदशहर या उच्च न्यायालय कानूनी सेवाओं के लिए उपस्थित नहीं होता है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री हकीम कुमार केसरवानी, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री साक्षी श्रीवास्तव की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि हालांकि पीड़िता ने आवेदक के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है, हालांकि, पीड़िता की चिकित्सा जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके शरीर पर ताजा चोट के निशान नहीं हैं। इसके अलावा, पीड़ित की आंतरिक जांच से इनकार कर दिया गया है, जिसने अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह की छाया डाली। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक को गुप्त उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य प्रस्तुतियाँ भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर लागू करना उचित समझे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आवेदक 16.12.2025 से जेल में बंद है।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही को पूर्व परीक्षण चरण में नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए, वह किसी भी भोग के योग्य नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, साक्ष्य की प्रकृति, और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। इसलिए जमानत आवेदन की अनुमति है।

7. बी.एन.एस. की धारा 74, 65(1), 351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत 2025 के केस क्राइम नंबर 381 में शामिल आवेदक विशाल कुमार, पुलिस स्टेशन अहमदगढ़,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिला बुलंदशहर को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

- i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके लिए आवेदक पर आरोप लगाया गया है, या आयोग का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी)

फरवरी 20, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"